E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः— 2880 /12-1 दिनांक, पौड़ी, जून 13, ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाढुंगी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। P.N.- FP/UK/ROAD/146204/2021

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0 / 1792 दिनांक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 4831 / 12—1 दिनॉक 29.04.2022 एंव पत्रांक 5490 / 12—1 दिनॉक 06.06.2022 से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में चाही गई सूचना निम्नप्रकार प्रेषित की गई हैः—

क्र0	चाही गई सूचना	आख्या
1	On Perusal of KML file, it is noticed that village is already connected with the road. If the connectivity required through deep inside the forest then the alignment can also be proposed from the nearest existing road instead of fragmenting the forest from other side which appears very dense.	ग्राम कोलाडुग्री—धारडुंग्री—मैखुरा सोनला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 94) से लगभग 1.50 से 2.00 किमी0 पैदल दूरी पर है पूर्व में कोलाडुग्री गॉव को राज्य मार्ग सं0 94 से जोडने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु ग्राम विडोली तल्ली के वन भूमि धारको द्वारा भूमि न देने सम्बन्धी विवाद किया गया। **(आपत्ति पत्र संलग्न—1)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनॉक 22.05.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि में चीड के 0—10 के कुल 35 वृक्ष एवं 10—20 व्यास वर्ग से अधिक के कुल 51 चीड के वृक्ष प्रभावित हो रहे है तथा नाप भूमि में चीड के 32 व 3 भीमल के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। वर्तमान में मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण में आ रही वन भूमि अत्यन्त विरल हरियाली क्षेत्र है जिसका हरियाली घनत्व 0.3 मात्र है तथा प्रस्तावित वन भूमि के अलावा नाप भूमि के कुछ स्थानों में चीड के वृक्ष सघन वन है।
2	It is also seen that the alternative alignment is parallel to the proposed road which does not serve the purpose. State Government is required to upload the details of the alternative explored from nearest existing road.	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 862 / 1सी0(वन) दिनॉक 03.06.2022 **(संलग्नक—2)** से अवगत कराया है कि स्वीकृत तथा वैकल्पिक संरेखण दोनो डिम्मर सुमल्टा बणसोली मोटर मार्ग से निर्गत होते है तथा लगभग समान्तर प्रतीत होते है क्योंकि इन दोनो संरेखण के अतिरिक्त किसी भी संरेखण पर ग्रामीण अपनी भूमि देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित संरेखण पर वृक्षों की संख्या 121 (हरियाली घनत्व 0.3—0.4) है जिसमें से वन भूमि व नाप भूमि में (कुल 118 वृक्ष चीड एवं 03 भीमल नाप भूमि) होने एवं एच0पी0 बैण्ड न होने के कारण उक्त संरेखण का चयन किया गया है। वैकल्पिक संरेखण की लम्बाई 2.50 किमी0 है इस संरेखण पर 2 हेयरबैण्ड पडते है तथा 155 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिसमें वृक्षों की संख्या अधिक है। क्षेत्रीय जनता भी इस संरेखण से सहमत नहीं है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

		डिम्मर–सुमल्टा–बणसोली मोटर मार्ग के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग का कर्णप्रयाग–धारड्डुग्री कण्डारा सोनला राज्य मार्ग सं0 94 से संरेखण सर्वे का प्रयास किया गया था परन्तु ग्राम विडोली एवं फलोटा के ग्रामीणों द्वारा इस संरेखण पर अपनी भूमि देने एवं कई एच0पी0बैण्ड के निर्माण से भविष्य में भूस्खलन के भय के कारण विरोध किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण एस0एच0 94 से होने से ग्राम सुमल्टा में स्थित प्राथमिक विद्यालय से ग्राम कोलाड्डुग्री के बच्चे मोटर मार्ग पहुंच से वंचित रह जायेगे, जिस कारण इस विकल्प पर अग्रेत्तर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3	The NPV calculation sheet is found uploaded on old rates. State Govt may submit /upload NPV calculation sheet as per new rates.	एन0पी0वी0 की गणना शीट नई दरों पर गठित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। **(संलग्नक–2)**

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः– यथोपरि 3 प्रतियों में।</u>

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

प्रधान

ग्राम पंचायत कनखुल तल्ला
विकासखण्ड— कर्णप्रयाग
जनपद— चमोली (उत्तराखण्ड)

शशीकला तोपाल
ग्राम व पो. कनखुल तल्ला
मो. 9634607181, 7248079946

Ref/-

Date : 28-12-2020

आपत्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्रामवासी खिडोली तल्ली वालों को खिडोली - कोलाडुंगरी मोटर मार्ग का सर्वे हो रहा था उसमें हमारी कृषि भूमि पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। जिस पर समस्त ग्रामवासियों को घोर आपत्ति है।

समस्त ग्राम वासी
खिडोली तल्ली

दिग्पाल सिंह [signature]
महावीर सिंह [signature]
दानी सिंह [signature]
बसन्त कुमार रावत [signature]
प्रेम सिंह - [signature]
दिनेश सिंह [signature]
कमल सिंह - कमल सिंह
नन्दा सिंह - नन्दा सिंह
विनोद सिंह - [signature]

[Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत कनखुल तल्ला, वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली); ह० [signature]; दि० 28-12-2020]

संलग्नक – 1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 862/1सी0 (वन)

दिनांक 03/06/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या– 588/1सी0 वन दिनांक 23.4.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवॉर आख्या निम्नवत है–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	On perusal of KML file, it is noticed that village is already connected with the road. If the connectivity required through deep inside the forest then the alignment can also be proposed from the nearest existing road instead of fragmenting the forest from other side which appears very dense.	ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है। विषयगत गॉव की डिम्मर–सुमल्टा–बणसोली मोटर मार्ग से दूरी 2.225 कि0मी है जो सघन वन क्षेत्र से न गुजर कर विरल हरियाली घनत्व (0.3–0.4) से गुजरती है। इस सम्बन्ध में दिनांक 21.5.2022 को वन विभाग के साथ पुनः संयुक्तस्थलीय निरीक्षण कर आख्या वनक्षेत्राधिकारी नंदप्रयाग रेंज, नंदप्रयाग द्वारा प्रेषित किया जाना है।
2	It is also seen that the alternative alignment is parallel to the proposed road which does not serve the pupose. State Government is required to upload the details of the alternative explored from nearest existing road.	स्वीकृत तथा वैकल्पिक संरेखण दोनो निकटतम डिम्मर–सुमल्टा–बणसोली मोटर मार्ग से निर्गत होते है तथा लगभग समान्तर प्रतीत होते है क्योकि इन दोनो संरेखण के अतिरिक्त किसी भी संरेखण पर ग्रामीण अपनी भूमि देने हेतु सहमत नहीं है। स्वीकृत संरेखण पर वृक्षों की संख्या 121 (हरियाली घनत्व 0.3–0.4), है। जिसमे से 118 वृक्ष चीड़ के होने एवं एच0पी0 बैण्ड न होने के कारण उक्त संरेखण का चयन किया गया है। वैकल्पिक संरेखण की लम्बाई 2.500 कि0मी0 है, इस संरेखण पर 2 हेयरपिन बैण्ड पड़ते है तथा 155 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिसमें कि वृक्षो की संख्या अधिक है। क्षेत्रीय जनता भी इस संरेखण से सहमत नहीं है। डिम्मर–सुमल्टा–बणसोली मोटर मार्ग के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग का कर्णप्रयाग– धारडुंग्री–कण्डारा– सोनला राज्य मार्ग संख्या 94 से संरेखण सर्वे का प्रयास किया गया था, परन्तु ग्राम बिडोली एवं फलोटा के ग्रामीणों द्वारा इस संरेखण पर अपनी भूमि देने एवं कई एच0पी0 बैंड के निर्माण से भविष्य में भूस्खलन के भय के कारण विरोध किया गया है। (पत्र संलग्न), मोटर मार्ग का निर्माण एस.एच. 94 से होने से ग्राम सुमल्टा में स्थित प्राथमिक विद्यालय से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चे मोटर मार्ग पहुँच से वंचित रह जायेगें। जिस कारण इस विकल्प पर अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3	The NPV calculation sheet is foung uploaded on old rates. State Govt may submit/ Upload NPV calculation Sheet as per new rates.	एन0पी0वी0 की गणनाशीट नई दरों पर गठित कर आपके पत्रांक संख्या 4164/12–1 दिनांक 6.4.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे निर्धारित कॉलम में आनलाइन अपलोड किय जा चुका है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रस्ताव का नामः– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 है0 सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है0 कुल 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 File No.5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–

1– ईको–क्लास श्रेणी – V

2– हरियाली का घनत्व– 0.3

3– एन0पी0वी0 की दर प्रति रू0 10,05,210.00

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 0.861 है0

5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 865485.81 या **रू0 865486.00**

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर